

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक...../

पटना, दिनांक.....  
सं०सं०-४/नि०स्था०(सा०य०नि०)-०९/१०

प्रेषक :-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,  
सामान्य भविष्य निधि निदेशालय,  
वित्त विभाग, पत भवन, पटना।

विषय :-

श्री इन्द्रदेव राग, कार्यालय परिवारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को उनके सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या-PTS/IND-141 से उनके पुत्र के गुंडन कार्य हेतु ₹50,000=00 (पच्चास हजार) मात्र की अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति।

आदेश :-

बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली के नियम 15 (1) (सी) एवं 15 (1) (सी) (III) के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. अस्थायी अग्रिम राशि की वसूली ₹2,500=00 (दो हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह की दर से 20 (बीस) समान किशतों में की जायेगी।

3. स्वीकृत अग्रिम आवेदक के संचित राशि के अन्तर्गत है।

4. इस अग्रिम की हटौति भुगतान के अगले माह से नियमित रूप से उनके वेतन से की जायेगी तथा पूर्ण स्वीकृत अग्रिम की वसूली भी उनके वेतन से नियमित रूप से की जायेगी। सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) यह सुनिश्चित करेंगे।

5. इस राशि की निकासी शीर्ष-"8009-राज्य भविष्य निधि उप मुख्य शीर्ष-01-सामान्य भविष्य निधि, लघु शीर्ष-101, सामान्य भविष्य निधि, उप शीर्ष-0001, उद्योग" विपत्र क्रॉड-L-8009011010001 से विकलित होगा।

विश्वासभाजन,  
ह०/-  
उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक- सं०सं०-४/नि०स्था०(सा०य०नि०)-०९/१०/...../

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापक- सं०सं०-४/नि०स्था०(सा०य०नि०)-०९/१०/...../ 2116

पटना, दिनांक..... 6.8.16

प्रतियां में।

2. आई०टी० प्रबंधक उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

3. श्री इन्द्रदेव राग कार्यालय परिचारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।  
31.5.16